

क्रमांक: लेखा/2022/

दिनांक:- / /2022

आनलाईन निविदा सूचना संख्या 36 / 2022-23

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए नगर विकास न्यास, अलवर में उपयुक्त श्रेणी में एवं विभिन्न विभागों में ए एवं एए श्रेणी में (विद्युत कार्यों के लिये ई-डब्ल्यूएसडी प्रथम) पंजीबद्ध संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्चरमेंट प्रक्रिया से वेब साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन निविदाएँ पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती हैं। समस्त कार्यों के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर न्यास में पंजीबद्ध सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागों में पंजीबद्ध सक्षम संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि पृथक पृथक रूप से ऑनलाईन निविदाएँ पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	निविदा की क्र.सं.	ऑनलाईन निविदा विक्रय/डाउनलोड/अपलोड करने का समय	प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि Urban Services Portal पर ऑनलाईन भुगतान/जमा करनी होगी।	ऑनलाईन निविदा/तकनीकी विड खोलने की तिथि				
1	1 से 3	26.12.22 प्रातः 9.30 से 03.01.23 दोपहर 2.00 बजे तक	26.12.22 प्रातः 9.30 से 02.01.2023 दोपहर 3.00 बजे तक	03.01.23 को सांय 4.00 बजे				
क्र.सं.	कार्य का नाम		अनु. लागत (लाख ₹)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधि० अभिय०	
				0.50%	2.00%			
1	अधिशाषी अभियंता प्रथम के क्षेत्र में टैण्ट व्यवस्था का कार्य।		10.00	5000	20000	500.00	वा.अनु.	प्रथम
2	अधिशाषी अभियंता प्रथम के कार्यक्षेत्र में रोड पेच रिपेयर के कार्य हेतु (वार्षिक अनुबन्ध 2022-23)		9.97	4985	19940	500.00	वा.अनु.	प्रथम
3	अधिशाषी अभियंता प्रथम के कार्यक्षेत्र में डब्ल्यूबीएम सड़कों के निर्माण कार्य हेतु (वार्षिक अनुबन्ध 2022-23)		9.98	4990	19960	500.00	वा.अनु.	प्रथम

निविदा की सामान्य शर्त :-

1	निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2	प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 50.00 लाख से कम के कार्यों की निविदा के लिए रुपये 500/- व 50.00 लाख या उससे अधिक के कार्यों के लिए रुपये 1000/- देय होगा।
3	प्रत्येक कार्य के लिये पृथक पृथक रूप से अमानत राशि, निविदा एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क का Urban Services Portal पर SSO Id के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान उपरान्त प्राप्त रसीद E.Proc.Rajasthan.gov.in पर निविदा के साथ अपलोड की जावे।
4	तकनीकी विड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज ही संलग्न करें।
5	निविदा खोलने की तिथि के किसी कारणवश यदि सां. निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्यलय दिवस में उसी समय पर निविदाएं खोली जायेगी।
6	सड़क कार्यों हेतु 300.00 लाख एवं भवन कार्यों हेतु 200.00 लाख से अधिक की निविदाओं के लिये तकनीकी आकलन में सफल निविदादाताओं की वित्तीय विड को खोलने की सूचना निविदादाताओं की ई-मेल से दी जायेगी।
7	असफल संवेदकों की धरोहर राशि कायरेटिज जारी होने के पश्चात लौटाई जायेगी।
8	राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के सन्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.09 के अनुसरण में न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अन्तिम बिलों के भुगतान पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (L.CESS) भी देय होगा।
9	संवेदक द्वारा दरे समस्त टैक्स/कर जैसे जीएसटी आदि शामिल करते हुये दी जावे। जीएसटी या अन्य टैक्स के लिये पृथक से न्यास द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
10	प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जीएसटी पंजीयन, पैन नम्बर प्रति, रजिस्ट्रेशन प्रति एवं पी.एफ.पंजीयन प्रति अपलोड करनी होगी तभी निविदा पर विचार किया जावेगा।
11	परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की आरटीपीआर नियम 75 तथा 75 ए के अनुसार गणना की जावेगी। निर्धारित समय अवधि में परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
12	उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त कार्यों में निविदा की वैधता तिथि 90 दिन होगी।
13	उक्त निविदा में सम्मिलित कार्यों पर Price Escelation देय नहीं होगा।
14	उक्त निविदा में सम्मिलित 50.00 लाख राशि से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर इंजीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष का निरीक्षण (Third Party Inspection) कराना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
15	उक्त निविदा पर RITP Rules, 2013 तथा PWF & AR, (UDH विभाग) के नियम लागू होंगे।
16	राजस्थान सरकार द्वारा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(8)वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 अनुसार प्रपत्र-ए, बी, सी एवं डी को हस्ताक्षर पश्चात निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा संवेदक की विड पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अभियंता
नगर विकास न्यास, अलवर